कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर
email id- observationhomeajmer@yahoo.com

क्रमांक :– 1185 दिनांक : 25.02.2022

खुली प्रतियोगी बोली निविदा सूचना संख्या 03 / 2021–22

बाल अधिकारिता विभाग अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह अजमेर, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर एवं बाल कल्याण समिति अजमेर कार्यालयो के सुचारू कार्य संचालन हेतु कम्प्यूटर मशीन विथ मेन की सेवाएं वित्त वर्ष 2022–23 हेतु जॉब बेसीस पर वांछनीय है अतः श्रम विभाग में पंजीकृत संवेदको / संस्थाओ / सेवाप्रदाता एजेन्सियों से शर्त रहित निविदा दिनांक 22.03.2022 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट http;//sje.rajasthan.gov.in या लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in एवं डी पी आर की वेबसाईट www.dipronline.org पर देखी जा सकती है ।

UBN:-CED2122SSRC00056
NIB CODE:CED2122A0053

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

कमांकः सम्प्रेक्षण / 2021–22 / 1186–91 दिनांक : 25.02.2022

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र मे नियमानुसार प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर / जिला परिषद / नगर निगम अजमेर।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- observationhomeajmer@yahoo.com

क्रमांकः– स.कि.गृ.अ. / 2021–22 / 1185 दिनांकः–25.02.2022

बिड आमंत्रण सूचना संख्या 03 / 2021–22

बाल अधिकारिता विभाग अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह अजमेर, किशोर न्याय बोर्ड, अजमेर एवं बाल कल्याण समिति अजमेर कार्यालयो के सुचारू कार्य संचालन हेतु कम्प्यूटर मशीन विथ मेन की सेवाएं वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वांछनीय है, अतः राजस्थान अनुबंधित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं / सेवाप्रदाता ऐजेंसियों से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत शर्त रहित खुली प्रतियोगी बोली (द्वि प्रक्रमी मोहर बन्द लिफाफो में) आमंत्रित की जाती है :–

महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

क्र. स.	विवरण	महत्वपूर्ण दिनांक, समय व अन्य सूचना
1	कम्प्यूटर मशीन विथ मैन आपूर्ति का कार्य विवरण	शिड्यूल G के अनुसार
2	अनुमानित लागत	3.25 लाख रूपये
3	बिड प्रपत्र शुल्क का	200.00 रूपये
4	बिड सिक्योरिटी	6500.00 रूपये
5	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	07 / 03 / 2022 सायं 6.00 बजे से
6	तकनीकी व वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 / 03 / 2022 प्रातः 11.30 बजे तक
7	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	22 / 03 / 2022 दोपहर 12.15 बजे
8	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	22 / 03 / 2022 सांय 5.30 बजे

बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय बेब साईट http;//sje.rajasthan.gov.in या लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है / डाउनलोड की जा सकती है। तकनीकी व वित्तिय बिड के पृथक–पृथक मोहरबन्द लिफाफो में निर्धारित तिथि व समय तक इस कार्यालय को प्रस्तुत की जा सकती है।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- observationhomeajmer@yahoo.com

दिनांकः–

तकनीकी बिड

1. उपापन संस्था का विवरण : अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर
2. कार्य का विवरण : कम्प्युटर मशीन विथ मैंन की जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य
3. अनुमानित लागत : रू: 3.25 लाख
4. बिड आमंत्रण सूचना : .... दिनांक ....
5. बोलीदाता का विवरण :

   (1) फर्म / संस्था का पूरा नाम : ....

   ....

   (2) पूर्ण पता : ....

   ....

   ....

   (3) संस्था का प्रकार (एनजीओ / फर्म / कं. / अन्य): ....

   (4) टेलीफोन नं. : ....

   (5) मोबाईल नं. : ....

   (6) ई–मेल पता : ....

6. संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरण :–

क.स.	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण	हां या नहीं	जारी होने की तिथि / वैधता अवधि / बैक का विवरण	संलग्न पृष्ठ संख्या क्रमांक
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 200 /– जमा कराने का ड्राफट / बैकर्स चैक नम्बर .... दिनांक...................... प्रस्तुत किये जाने का विवरण			
2	बिड सिक्युरिटी राशि 6500 /– डी.डी. / बैंकर चैक			
3	5 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र			
4	फर्म / संस्था के पंजीकरण की सूचना आदि	–	–	–
	A. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970			

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02

	B. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952,			
	C. कर्मचारी राज्य 'बीमा अधिनियम, 1948,			
	D.वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी नः),			
	E. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत			
	F. इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956			
	G.राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958			
	H.आयकर (पैन नम्बर)			
5	गत तीन वर्षो का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018–19, 2019–20 से 2020–21)			
6	गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (2018–19, 2019– 20 से 2020–21)			
7	गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र (100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पर शपथ पत्र नोटेरी द्वार प्रमाणित)			
8	Annexure '1' संलग्न करना। (गत तीन वर्षो का औसत वार्षिक न्यूनतम रूः 3.00 लाख रूपये का टर्न–ओवर) सी.ए. द्वारा जारी प्रमाणपत्र			
9	परिशिष्ठ 1, 2, 3, 4 एव A,B,C,D			
10	बैक का विवरण			
	A. बैक खाताधारक संस्था का पूरा नाम			
	B. बैंक खाता संख्या, C.बैंक का नाम व शाखा का नाम			
	D. बैक खाते का प्रकार			
	E. आई एफ एस सी कोड			

7. इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैः–
   1. ....
   2. ....
   3. ....
   4. ....
   5. ....

8. मैं,हम कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक .... दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा सलंग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) मैं,हम दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं । साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/ हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज वैधानिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली

प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानुन/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
दिनांक

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- observationhomeajmer@yahoo.com

दिनांक :

वित्तीय निविदा

संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर मैन विथ मशीन जॉब बेसिस सेवाओं के उपापन के लिए अपनी निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगीः—

(संवेदक द्वारा भरा जाना)

कम्र स.	जॉब बेसिस कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम दर प्रति मशीन वीथ मैन प्रति माह	EPF की दर 13% से राशि	ESI की दर 3.25% से राशि	कुल राशि	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत व राशि (प्रति कम्प्यूटर मशीन विथ मैन)	संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर कॉलम 7 व 8 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर मशीन विथ मैन	कुशल / उच्च कुशल	8500 / —	—	—	8500 / —		

1. GST नियमानुसार लागु होगा जो की पृथक से देय होगा।
2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति कम्प्यूटर मशीन विथ मैन सेवा दर का प्रतिशत में शून्य दर/राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
3. वित्त विभाग द्वारा न्यूनतम दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना /विभाग द्वारा समय–समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

हस्ताक्षकर्ता निविदादाता मय सील

दिनांकः—...

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर में कम्प्यूटर मशीन विथ मैन जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्यः– वित्त वर्ष 2022–23 (एक वर्ष हेतु)

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तें

Important Instruction : The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012" [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013" [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in . Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

(1) बोली प्रस्तुत करने के इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। एवं विभागीय वेबसाईट raj.sje@rajasthan.gov.in या कार्यालय से भी निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है

(2) बोली निर्धारित फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के सहित सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए तथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय पश्चात डाक द्वारा प्राप्त बोली प्रपत्रो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः बोलीदाता अपनी बोली प्रपत्र निर्धारित तिथि से पूर्व स्वयं के स्तर से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे (डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त बोली प्रपत्रो हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगें)

(3) वित्तीय बिड प्रपत्र निर्धारित फोरमेट में पृथक लिफाफे में मोहरबन्द कर प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं की जावें।

(4) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओ की ही वित्तीय बिड़ को खोला जावेगा।

(5) वित्तीय बिड व तकनिकी बिड पृथक–पृथक मोहरबन्द लिफाफों में उन पर फर्म का नाम पता सम्पर्क नः व तकनीकी बिड/वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से अंकित कर निर्धारित तिथि व निर्धारित समय तक प्रस्तुत कर सकेगें। जिन्हे निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बिड के समस्त पृष्ठो पर क्रम संख्या अंकित की जावे तथा तकनीकी बिड के कॉलम अनुसार उसका संलग्नक का पृष्ठ क्रमांक उसके समक्ष अंकित किया जावे।

2. बिड प्रस्तुत करने के लिए पात्रताः

कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलंन) अधिनियम 1970. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम टर्नओवर रुपये 3 लाख (बोली मूल्य के बराबर) होना आवश्यक है। इस हेतु Annexure-1 भर कर व पंजीकरण की सूचना Annexure-2 तथा चैक लिस्ट भरकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा इससे सम्बंधित सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति लगाना आवश्यक होगा।

3. बिड की सामान्य निर्देश एवं शर्ते :

सेवा प्रदाता द्वारा अव्यस्क/असक्त/अस्वस्थ व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा

1. श्रम विधि के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रेकार्ड को संरक्षित संधारित करने की सेवा प्रदाता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
2. राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर श्रमिको के हितो में किये जाने वाले प्रावधानों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाता ऐजेन्सी का होगा।
3. कम्प्युटर उपकरण मय ऑपरेटर जो विशिष्टीयॉ आवश्यक हो वे निम्न प्रकार है जो निविदा दाता को उपलब्ध कराने होगे।

   Computer – Intel core 13 Equivalent AMD based Computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher Hard disk 250 GB or more 15 monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps LAN Card CD/DVD Writer Standard Keyboard . Optical Mouse. Standard Serial. Parallel and USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor **Printer-** Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For Specific needs Dot Matrix/ inkjet Printer may be taken in lieu of laser printer. **UPS-** online /offline UPS for above computer and Printer with 30 Minutes battery backup
4. कम्प्युटर उपकरण को हमेशा चालू हालत में रखना होगा। यदि मरम्मत की आवश्कयता होती है तो कार्यालय अध्यक्ष को लिखित में सूचना देकर मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। मरम्मत अवधी में निविदादाता को अन्य उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
5. कम्प्युटर की स्थापना के बाद उसका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा की कम्प्युटर सिस्टम वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी 1(1) बजट/2004 दिनांक 28.7.2008 एवं क्रमांक एफ 9(1) एफ डी 1(1) बजट/2012 दिनांक 1.5.2014 में निर्धारित तथा समय–2 पर यथा संशोधित आदेशानुसार निर्धारित अनुमोदित विशिष्ठियों के अनुरूप है। यदि सिस्टम निर्धारित विशिष्ठियों के अनुरूप नहीं पाया जायेगा तो उसे निविदादाता की निर्धारित विशिष्ठियों के अनुरूप रिप्लेस करना होगा यदि कम्प्युटर सिस्टम कार्यालय की संतुष्ठि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित सूचना देकर इसे ठीक करवाने हेतु कहा जायेगा तथा दी गई अवधी में ठीक नहीं कराने पर कार्यालय द्वारा नोटिस देकर संविदा भंग मानते हुवे निविदा निरस्त कर दी जायेगी। कम्प्युटर उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एवं बिजली की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जायेगी। कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण कार्यालय में रखे जा सकेगे यदि उपकरणों की

चोरी या अन्य किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। अतः निविदादाता को सुझाव दिया जाता है कि वह चाहे तो उपकरण का बीमा करा लेवे ।

6. निविदादाता को प्रतिदिन कार्यालय समय तथा आवश्यकता की स्थिति में कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात तथा राजकीय अवकाश दिवस पर आवश्यकता अनुसार कम्प्युटर सेवाऐ जारी रखनी होगी। किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्युटर बंद नही रखे जायेगे। यह भी पुर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। ऐसी अवधी में निविदा में निर्धारित कान्फीग्रेशन का स्टेण्डबाई कम्प्युटर मय प्रिंटर व यूपीएस उपलब्ध कराना होगा इससे अधिक समय तक कम्प्युटर बंद रखने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी तकनीकी खराबी के कारण हो तो 200/- प्रतिदिन प्रति कम्प्युटर की दर से क्षतिपूर्ति कटौति निविदादाता के बिल में से कि जायेगी।
7. विशेष परिस्थिति में कार्यालय इन चार दिनों की अवधी को बढा सकता है जिसके लिए निविदादाता को लिखित में समुचित कारण देने होंगे इस अवधि के बकाया कार्य को निविदादाता को अन्य कम्प्युटर पर स्वंय के खर्चे पर कराके देना होगा।
8. कम्प्युटर सेवाऐ देने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. कम्प्युटर सिस्टम सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारण रखरखाव आदि कराने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता को निविदा में निर्धारित योग्यता/दक्षता रखने वाले को ही कम्प्युटर पर कार्य करने हेतु रखना होगा/ एक बार ऑपरेटर लगाने के बाद बिना कार्यालय अध्यक्ष की अनुमति के बदला नही जायेगा साथ ही आपॅरेटर का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में तत्काल बदलना भी होगा।
11. स्टेशनरी, सीडी एवं फ्लोपी,पैन ड्राईव,टोनर रिफिल आदि कन्जुयेबल आईटम आवश्यकतानुसार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे, जो की कार्यालय सम्पत्ति रहेगी परन्तु प्रिन्टर में नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा।
12. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक को कम से कम सरकार द्वारा कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदुरी राशि 276/- प्रतिदिन की दर से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करना होगा।
13. **उपापन की पद्धति–** खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति से दर संविदा हेतु द्वि प्रक्रमी बोली।
14. बोली प्रपत्रों का मूल्य–रूपये 200/- जिसका बैंकर्स चेक/डी.डी., SUPERINTENDENT RAJKIYA SAMPREKSHAN AND KISHOR GRAH के पक्ष में देय होगा।
15. बोली प्रतिभूति 2 प्रतिशत की दर से 6500/- नकद/बैक चैक/ड्राफ्ट या बैंक गारण्टी के रूप में तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
16. वित्तीय बिड प्रस्तुत करने वाले को दर BOQ निर्धारित कॉलम सं. 8 व 9 में भरकर एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
17. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधनों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा तथा श्रम, विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
18. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करवाई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
19. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों श्रम विभाग के नियमानुसार अपने समस्त श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं समुह दुर्घटना बीमा आदि जमा कराने, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

20. वित्त विभाग/श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि का पालन नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सवेंदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिये उचित कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमूक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। कार्यालय/विभाग इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक, दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

25. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना विभागीय अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नहीं किया जाएगा।

26. निविदा खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

27. बिड प्रतिभूति निम्न परिस्थितियों में जब्त कर ली जायेगी।
   (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है या उसमें कोई उपान्तरण करता है।
   (2) निविदादाता निर्धारित दिनांक तक अनुबंध करने में असफल रहता है।
   (3) निविदादाता आदेश देने के बाद निर्धारित अवधि में कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहता है।

28. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Security) :</u> सफल निविदादाता की दर अनुमोदन होने पर 7 दिवस में अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत 16250/– के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :
   (1) किसी अनुसूचित बैंक का बैक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारन्टी व फिक्स डिपोजिट के रूप में स्वीकार की जायेगी जो की अधीक्षक के पक्ष में देय हो
   (2) प्रतिभूति, वांरटी बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरी अनुबन्ध अवधि की पूर्ण कालावधी के लिए विधिमान्य रहेगी।

29. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त करली जायेगी :–**
   1.संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर।
   2. सेवायें सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने में असफल रहने पर।
   3. कार्य अवधी के दौरान स्वेच्छा से कार्य छोडकर जाने की स्थिति में

30. <u>श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार की फीस/पेनल्टी/शास्ति के भुगतान के लिए यह कार्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।</u>

31. <u>भुगतान</u> : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा : –
   (1) भुगतान अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, किशोर न्याय बोर्ड एव बाल कल्याण समिति बाल

अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा कम्प्यूटर मशीन विथ मैन की मासिक उपस्थिति जॉच के पश्चात स्वीकृत दर पर देय होगा।

(2) एक दिवस (रविवार) साप्ताहिक अवकाश देय होगा एवं आवश्यकता होने पर साप्ताहिक अवकाश क दिन कार्य कराना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

(3) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण स्वरूप कामगारों को बैंक खाते में जमा की बैंक अन्तरण सूची आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(4) सरकार को देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल से की जायेगी।

(5) भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के उपरान्त पिछले माह के खातों में जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें बिल से घटाया जावेगा।

(6) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देंय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वा के निर्वहन का उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।

(7) श्रम विभाग के नियम अनुसार मासिक परिश्रमिक 26 दिवस का माह मानकर की जायेगी।

32. अनुबंध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मांग अधिनियम PDR (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

33. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (<u>Correction of arithmetic errors in financial bids</u>)** : बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :

(1) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

34. **<u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :</u>** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय,/स्तर पर समस्त बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

35. **<u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quanity):</u>**

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई सेवा उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिश्ट परिमाण से कम/ज्यादा उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं मूल आदेशित मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।

36. **सेवाओं की गारंटी / वारंटी –** बोली दाता को उपापन की सेवाएँ बोली दस्तावेजों एवं समय–समय पर उपापन संस्था द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी। निरीक्षण के दौरान सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उपापन संस्था को अनुबन्ध समाप्त करने या ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा जो वह युक्तियुक्त समझें। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं बोली दाता के लिए बाध्यकारी होगा।

37. **करार का निष्पादन (Execution of Agreement) :**

1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम दस दिवस में स्वयं के खर्चे पर एक करार पत्र (राशि रू 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) निष्पादित करना आवश्यक हैं विशेष परिस्थितियों में कार्यालय को अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।
2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरो पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरो की बोली लगाने वालों को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्व प्रतिपड्त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

38. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integrity)** : उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति–

1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निषपक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य में वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।
5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी द्विवर्जन को प्रकट करेगा।

39. **हित का विरोध (Confilict of Interest)** :

1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है,
(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है,
(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है,
(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध हे, जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुँचाने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो,
(ड़) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि वह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है, या
(च) बोली लगाने वाले या उससे सम्बद्व किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशो को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और उन्य दस्तावेज तैयार किये गये है के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो सम्बद्ध है और नही सम्बद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

40. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग :** अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

41. **वाद–विवाद** : किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में स्वयं अथवा विभाग के सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यह अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

42. **न्यायिक क्षेत्र** : इस निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र अजमेर शहर होगा।

43. सम्पूर्ण समेकित हितकारी लाभप्रद दरों को ही स्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति का सुरक्षित है।

44. सामान्य वित्तीय लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।

45. कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अवधि बढ़ाने या घटाने का अधिकार अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग अजमेर के पास होगा। स्थायी कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।

46. यदि पूर्व में कोई रिट/वाद न्यायालय में विचाराधीन होने पर उनके निर्णय/स्टे वेकेट होने तक निविदा में दर्शित कामगारों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती है अथवा उनके स्थान पर नहीं भी रखा जा सकता है।

47. किसी संवेदक/संस्था द्वारा गलत/मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यादेश रद्द कर दिया जायेगा व कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संवेदक संस्था को ब्लेकलिस्टेड कर दिया जायेगा।

48. निविदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड़ों पर निविदा का निर्णय किया जावेगा–

क्र. सं.	चयन का आधार		कार्यकुशलता का विवरण	चयन के लिए निर्धारित अंकों की संख्या
1.	गत तीन वित्तीय वर्ष का औसत टर्नओवर (सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर एनेक्सर– 1)	अ.	50 लाख तक	10 अंक
		ब.	50,00,001 से 1 करोड़	15 अंक
		स.	1 करोड़ से अधिक	20 अंक
		द.	*यदि एक से अधिक निविदादाता का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को **05** अंक अतिरिक्त देय होंगे।*	
2.	संवेदक/फर्म माह मार्च–2021 में उपलब्ध कराये गये कुल मैन–पावर कार्मिकों की संख्या व उनको देय पीएफ एवं ईएसआई माह मार्च, 2021 में कितने कार्मिकों का जमा कराया गया हैं। (चालानों की प्रति संलग्न करें मय कार्मिक विवरण) • **मार्च–2021 में कुल मैन पावर की संख्या अंकित करें–**	अ.	1–25 कार्मिको तक	10 अंक
		ब.	26–50 कार्मिको तक	15 अंक
		स.	51–75 कार्मिको तक	20 अंक
		द.	75 कार्मिको से अधिक *यदि एक से अधिक निविदादाता हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सप्लाई करने वाले केवल एक संवेदक को **05** अंक अतिरिक्त देय होंगे।*	
3.	संवेदक /फर्म का रजिस्ट्रेशन के अनुसार (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें)	अ.	राजस्थान राज्य के बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	10 अंक
		ब.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु अजमेर संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक
		स.	अजमेर संभाग के अंदर किन्तु अजमेर जिले से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	20 अंक
		द.	अजमेर जिले की फर्म/संवेदक होने पर	25 अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संवेदको को एक समान अंक प्राप्त होते है तो उपापन समिति द्वारा किसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा। जिसके अंतिम निर्णय का समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

49. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार लागू होगें।
50. Annexure-1 , 2, 3, 4 व A , B , C ,D संलग्न करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

शपथ पत्र

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 46 एवं मैन विथ मशीन हेतु 1 से 15 तक को भली–भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है एवं इन समस्त शर्तो की पूर्ण पालना हेतु सहमत हैं तथा निष्ठापूर्वक पूर्ण पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

Annexure '1'

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s. ....

....

Address...

....

....

....

..................................for the last three financial year

supply in of regarding work was

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2018-19		
2.	2019-20		
3.	2020-21		

Date:

Signature of the Auditor/Seal

Charted Accountant

Place:

(name and Address)

Tel. No. :-

Mob.No. :-

Annexure '2'

बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः—

क. सं	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	बिड में संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956				
7	बिड प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं बिड सेक्युरिटी डी.डी.डी. संलग्न करना होगा ।				
8	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना।				
9	5 मैन पावर सप्लाई / कम्प्यूटर मशीन विथ मैन आपूर्ति हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण संलग्न करना				
10	गत तीन वर्षो का सीए का ऑडिट रिपोर्ट (2018—19 से 2020—21) संलग्न करना				
11	गत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (2018—19 से 2020—21) संलग्न करना				
12	गत तीन वर्षो का औसत वार्षिक न्यूनतम 5 लाख या निविदा मूल्य के बराबर रूपये का टर्न आवर संलग्न करना				
13	परिशिष्ठ 1,2,3,4 एवं A,B,C,D संलग्न करना				

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

Annexure 3

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि मैनें/हमने निविदा शर्तों के विरूद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या....................................दिनांक .... है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा उचित कानूनी कार्यवाही कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

Annexure 4

निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त शर्तो को/समझ लिया है निविदा के संबंधित समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा उपापन पारदर्शिता अधिनियम की धारा 46 एवं उपापन नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति बॉण्ड के तहत कार्यवाही/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम मय सील

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of **Interest:**

Any person participating in the procurement process shall –

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly
influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence
the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more
than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this
does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declatation by the Bidder

In relation to my/our Bid submit to superintendent observation home ajmer For procurement of...in response to their notice Inviting Bids No.....................Date..................I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;

Date: Signature of Bidder

Place:

Name:

Desination:

Address:

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02

Annexure C

Grievance Redressal duringProcurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority A.D. ICPS Ajmer

The designation andaddressoftheSecondAppellateAuthority is **DIRECTOR Child right department Jaipur**

1. **Filing an appeal** :- If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters,namely:-

   (a) determination of need of procurement;

   (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;

   (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

   (d) cancellation of a procurement process;

   (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

   (a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, Page 15 to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

1. Official address, ifany:

2. Residential address:

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ....
....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place ....

Date ....

Appellant's Signature :

Annexure – D: Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर

email id- observationhomeajmer@yahoo.com phon no. 0145-2440588

शिडयूल–जी

क0 स0.	जॉब बैसिस सेवा कार्य प्रकति	वाछिंत सेंवाकार	कार्य का विवरण	जॉब बैसिस का औचित्य	अर्हता
4	कम्प्युटर मैन विथ मशीन	कुशल-मय कमप्यूटर मशीन 3	1 कार्यालय अधीन 1 व बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु एक–एक कुल 3 कम्प्युटर मैन विथ मशीन के सेवाओं की आवश्यक्ता है। 2 ऑपरेटर को वर्ड व एक्सल में तथा हिन्दी अग्रेजी में कार्य करने की दक्षता होना अनिवार्य है । आनलाईन कार्य करने की भी दक्षता होना आवश्यक है। सूचनाओं का संकलन व प्रेक्षण कार्य में दक्षता आवश्यक। उक्त मैन विथ मशीन को किसी भी संस्था में रखना अधिक्षक के विवेक पर निर्भर होगा। कार्य दिवस के अतिरिक्त आवश्यक्ता होने पर अवकाश के दिवस भी कार्य सम्पादित कराया जा सकता है। ऑपरेटर को समस्त कार्य दिवस में अपनी सेवाऐ अनिवार्य रूप से देनी होगी नियोजित कार्य स्थल पर कार्य न होने की दशा में अन्य समकक्ष उक्त कार्यालय में भी सेवाऐ ली जा सकती है। कम्प्यूटर मय प्रिन्टर कार्यालय द्वारा उपलबध नहीं करायी जायेगी। कम्प्यूटर उपकरणों की समुचित देखभाल व उचित संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपरेटर व संवेदक की होगी। राजकीय विभाग न्यायिक कार्य होने से कार्यालय की गोपनियता भंग की स्थिति में उचित न्यायिक कार्यवाही आपेरटर व संवेदक के विरूद्व कि जायेगी। कम्प्यूअर का डाटा सुरक्षित रखने व उसमें किसी तरह की जानबुझ कर की गयी तकनिकी गडबडी को गंभीरता से लिया जायेगा व आवश्यक कार्यवाही आपरेटर व संवेदक के विरूद्व करने हेतु विभाग स्वतन्त्र रहेगा। कम्प्यूटर की सामान्य तकनीकी गडबडी को ठीक कराने का दायित्व संवेदक का होगा। अन्य स्टेशनरी व टोनर रिफिल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	कार्यालायो में कम्प्यूटर से संबंधित समस्त कार्य सम्पादन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में 9:30 से सांय 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा।	**MCA/BCA OLOVEL** या समकक्ष

नोटः–1.प्रत्येक कामगार अपने स्वयं के खर्चे पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होगा व प्रस्थान करेगा।
2.किसी भी कामगार को गृह में भोजन आदि की सुविधा देय नही होगी।
3 सभी कार्य जॉब बैसिस पर ही सम्पादित होगे।
4.चूंकि संस्था बालकों से संबधित होने के कारण संवेदनशील सस्था है अतः संवेदनशील संस्था होने के कारण नियोजित कामगार उच्च नैतिक/ साफ–सुथरी छवि, कर्मठ व ईमानदार कामगार की ही वांछनीयता रहेगी।
5.नियोजित किये जाने वाले कामगार संस्था की गोपनीयता के लिये सत्यनिष्ट एंव उत्तरदायी होगे।
6.नियोजित किये जाने वाले कामगारो का पुलिस सत्यापन कराने के उपरांत ही नियोजित किया जायेगा।
7 समस्त जॉब बेसिस कार्य हेतु समस्त सामग्री यथा भोजन हेतु कच्ची सामग्री साग सब्जी मसाले इंधन व साफ–सफाई हेतु फिनाईल/झाडु/पोछा/टायलेट क्लीनर सर्फ एवं कम्प्युटर मैन विथ मशीन, को स्टेशनरी टोनर रिफिल आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण गृह
बाल अधिकारिता विभाग,
अजमेर

destop par tandar foldar me tandar letter --- 02